रजिस्ट्री सं० डी०ए० ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 905] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2018/अग्रहायण 27, 1940
No. 905] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2018/AGRAHAYANA 27, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2018

आय-कर

सा.का.नि. 1217(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 286 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के भाग 2 के नियम 10घख के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) धारा 286 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट घटक अस्तित्व द्वारा उस उपधारा के अधीन रिपोर्ट देने की अवधि, रिपोर्ट देने वाले लेखा वर्ष के अंत से बारह मास की होगी :

परंतु यदि घटक अस्तित्व का वर्तमान अस्तित्व किसी ऐसे देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है, जहां देश या राज्यक्षेत्र कोई प्रायिक निष्फलता हो गई है और उक्त निष्फलता के बारे में ऐसे घटक अस्तित्व को सूचित कर दिया गया है, वहां रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि उस मास के अंत से छह मास की होगी, जिसमें उक्त प्रायिक निष्फलता सूचित की गई है ।"।

[अधिसूचना सं. 88/2018/फा. सं. 370142/17/2018-टीपीएल]

नीरज कुमार, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 6054(अ), तारीख, 6 दिसंबर, 2018 द्वारा किया गया ।

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.12.19 18:48:34 +05'30'